

न्याय आपके द्वार 2017
कैम्प कोर्ट :- राजगढ़
प्राथमिक डिक्की व मुकदमें इक्वाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद


मदन बनाम मिश्री देवी वगै०

दावा बाबत :- 53, 88, 188 राज. का. अधि० 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर - 84/2017
पेश करने की दिनांक - 17.5.17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू सुश्री श्वेता कोचर (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई प्रतिवादी स्वयं अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्की दी जाती है कि :-

ग्राम राजगढ़ के खसरा नम्बर 717 रकबा 0.04 व 719 रकबा 0.07 की आराजियात पर वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादी व प्रतिवादी के मध्य हक व हिस्सेनुसार विधिवत विभाजन प्रस्ताव उभयपक्ष की उपस्थिति में तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक—— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक का अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज 7 माह जून सन् 2017 को जारी की गयी।

मुद्दई


मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत
मेहनताना वकील
फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुत्तफरिक

स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुत्तफरिक

मिजान

मिजान


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद